



Yamuna Expressway Industrial Development Authority

Residential Plots Scheme – 2009 (1)

Information of Extra Compensation

Date of issue Letter	:	01.04.2016
Size of Plot	:	300 Sqm
Rate of Extra Compensation	:	1330/- Sqm
Total Amount of Extra Compensation	:	Rs. 3,99,000/-

Particulars (Pay Type Code)	Installment Amount (Rs.)	Due Date
Extra Compensation Installment No-1	49,875/-	19.10.2015
Extra Compensation Installment No-2	49,875/-	30.04.2016
Extra Compensation Installment No-3	49,875/-	30.10.2016
Extra Compensation Installment No-4	49,875/-	30.04.2017
Extra Compensation Installment No-5	49,875/-	30.10.2017
Extra Compensation Installment No-6	49,875/-	30.04.2018
Extra Compensation Installment No-7	49,875/-	30.10.2018
Extra Compensation Installment No-8	49,875/-	30.04.2019

उपरोक्त धनराशि का तिथिवार देय भुगतान प्राधिकरण द्वारा अधिकृत बैंक में ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर “ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ” के पक्ष में बनाकर कर सीधे निम्न बैंकों में अथवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com से Online Property Account System पर जाकर अपने User-id के माध्यम ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं :

- 1. Bank of Baroda**
 - a. First Floor, Commercial Complex, Block-P-2, Sector-Omega-I, Greater Noida
 - b. F-18, Near Preet Vihar Metro Station, Delhi
- 2. HDFC Bank Ltd**

- a. C-1, Alpha Plaza, Alpha Commercial Belt, Greater Noida
- b. C-28 & 29, Sector-18, Noida
- c. H-69, Outer Circle, Connaught Place, New Delhi-110001

3. **ICICI Bank**

- a. Block-P-2, Sector-Omega-I, Greater Noida
- b. K-1, Senior Mall, Sector-18, Noida

4. **Oriental Bank of Commerce** - Jagat Farm, Sector- Gamma-01, Greater Noida

5. **Bank of India** - Sector Beta-II, Greater Noida

- प्राधिकरण की आवासीय योजना – 2009(1) के अर्न्तगत 21000 आवंटियों से वसूल की जाने वाली अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि की किस्तों को पुर्न निर्धारित करते हुये चार किस्तों से बदलकर आठ किस्त के रूप में वसूल किया जायेगा।
- ऐसे आवंटी जिनके द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि की प्रथम किस्त दिनांक 19.10.2015 से पूर्व अथवा उसके पश्चात मय ब्याज जमा करायी जा चुकी है। उन समस्त आवंटियों की जमा की धनराशि को आगामी किस्त में समायोजन किया जायेगा।
- ऐसे आवंटी जिनके द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि की प्रथम किस्त दिनांक 19.10.2015 को वर्तमान तक जमा नहीं की गयी है उनको यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे अपनी धनराशि प्राधिकरण द्वारा किये गये पुर्न निर्धारित भुगतान योजना के अर्न्तगत दिनांक 30.04.2016 तक (प्रथम किस्त + द्वितीय किस्त) विना ब्याज जमा करा सकेंगे। यदि वे इस धनराशि को दिनांक 30.04.2016 तक जमा नहीं कराते हैं तो उनपर प्राधिकरण के नियामुसार दण्डात्मक ब्याज देय होगा। जिसकी प्रतिपूति आवंटी को करनी होगी।
- इस योजना के आवंटियों को यह विकल्प भी उपलब्ध होगा कि ऐसे आवंटीगण जोकि कृपको को दी जा रही अतिरिक्त प्रतिकर के फलस्वरूप आवंटी पर अधिरोपित भार को अदा करने पर वह सहमत नहीं है , तो वह आवंटित भूखण्ड प्राधिकरण के पक्ष दिनांक 30.04.2016 तक सरेण्डर करके अपनी जमा धनराशि (Penal Interest के अलावा) 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ वापस ले सकता है , यदि आवंटी ने एक मुश्त लीजरेन्ट जमा कर रखा है तो लीजडीड की तिथि से सरेण्डर की तिथि तक का लीजरेन्ट छोडकर शेष लीजरेन्ट की धनराशि वापस ले सकता है।